न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 142/2018

अनवान : –

1. धर्मसिह पुत्र छोटूराम जाति छिम्पा निवासी रामगढ तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गोदावरी पत्नी स्वर्गीय किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. पुरूषोतमलाल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर ।
3. श्यामलाल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. विश्वरम्भरदयाल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. सुभाषचन्द पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. विनोद कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
7. पवन कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
8. संजय कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
9. मंजु पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
10. सुमित्रा पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
11. कमलेश पुत्री किशनलाल जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील नोहर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
13. उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 18 डीपीएन की कुल 38 बीधा भूमि जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में विवरण दर्ज है का भूपसिह पुत्र विराज जाति जाट साकिन नेठराना 2/3 हिस्सा के भागमल व रामचन्द पि0 मामराज खातेदार काश्तकार थे भूपसिह पुत्र खिराज ने अपना 1/3 हिस्सा भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पिता व पति छोटूराम पुत्र गजनराम को जरिये बेयनामा दिनांक 03.01.1991 को बेचान कर दिया था खरीददार छोटूराम पुत्र गजनराम खरीद के समय से ही खातेदार काश्तकार हो गया था छोटूराम के फौत होने के पश्चात [illegible] के वारिसान सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 खातेदार [illegible] सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण 12 बीधा 13–1/3 रोही मौजा चक 18 [illegible] काश्तकार हो चुके [illegible] छोटूराम पुत्र गजनराम ने अपनी उपरोक्त खरीदशुद्वा भूमि में [illegible]4 बीधा यानि 1.012[illegible] रामकुमार व राजेन्द्रसिह पुत्र हेमराज को अपने जीवनकाल में फरोख्त कर दी जिसका सायल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 को कोई ऐतराज नही है मगर शेष बची भूमि छोटूराम पुत्र गजनराम की भूमि 8 बीधा 13–1/3 यानी 2.192हैक भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

छोटूराम के सहकाश्तकार भागमल रामचन्द पि0 मामराज 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा उन्होने अपना हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति किशनलाल पुत्र तुलछीराम को फरोख्त कर दिया था तथा गेरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति श्रीकिशनलाल के नाम से बेयानामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो गया इसप्रकार समस्त 38 बीधा भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन में छोटुराम 1/3 हिस्सा तथा उसके फोत होने पर 1/2 हिस्सा के खातेदार व हकदार सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 बहिब के खातेदार काश्तकार हुए तथा 2/3 हिस्सा के किशनलाल पुत्र तुलछीराम हकदार हुआ तथा उनके फोत होने पर 2/3 हिस्सा के हकदार व खातेदार उनके वारिसान गैरसायलान संख्या 1 ता 11 बहिब हकदार हुए ।

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन खाता विभाजन की आड में गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति किशनलाल ने अमला माल से साजिस कर सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पिता व पति के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 3.0204हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में थी जिसमें सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता छोटूराम के द्वारा 4 बीधा भूमि रामकुमार राजेन्द्र पि0 हेमराज जाति जाट को बेय कर दी थी बाकी सायल के पिता छोटूराम के नाम 2.192हैक भूमि शेष की बजाय 2.024हैक दर्ज कर दी जबकि गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति ने अपने नाम 25 बीधा 6–2/3 बीधा के बजाय 26 बीधा खाता विभाजन के बहाने कतई गलत दर्ज करवाली इस प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड में सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 का 13–1/3 विश्वा भूमि ज्यादा नियम विरूद्व दर्ज करवा ली तथा उक्त भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खाता विभाजन मे तहसीलदार या अन्य मातहत अधिकारी को कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नही था तथा ना ही किशनलाल व उसके वारिसान को उक्त सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता छोटूराम की जरिये खरीदशुद्वा भूमि में नियमानुसार कोई टिनेन्ट आराजी नही होते वादग्रस्त भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता द्वारा जरिये रजिस्टर बेयनामा खरीद के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मौका पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता द्वारा अपनी खरीदशुद्वा भूमि 12 बीधा 13–1/3 हिस्सा भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन के पश्चात 4 बीधा यानी 1.012हैक भूमि राजेन्द्र व रामकुमार पि0 हेमराज को फरोख्त करने के पश्चात शेष 8 बीधा 13–1/3 बीधा यानि 2.192हैक भूमि [illegible] में चली आ रही है उक्त भूमि के चारो तरफ सीव डोल बना रखी है तथा [illegible] 11 के पिता की 25 बीधा 6–2/3 बिश्वा भूमि खरीदशुद्वा है तथा उतनी ही उनके कब्जा काश्त में है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में सायल व तरतबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 की 13–1/3 बीधा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मिलाकर खाता तक्सीम के बहाने अपने नाम 26 बीधा दर्ज करवा रखी है जो सायल व तरतबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने नाम 13—1/3 हिस्सा भूमि जो सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पति व पिता की खरीदशुद्वा भूमि का भाग है जो गैरसायल संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है वादी तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 की खरीदशुद्वा भूमि 13—1/3 हिस्सा कतई गलत विधि विरूद्व तरीके से दर्ज है जिससे सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि 13—1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन करवाकर सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सायल अपना व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 को उसके 13—1/3 हिस्सा के कब्जा काश्त से बेदखल करने की गेरसायल संख्या 1 ता 11 योजना बना रहे है तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति में परिर्वतन करने की योजना बना रहे है गैरसायल संख्या 1 ता 11 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 ता 11 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 13/14 की कुल 6.5780हैक भूमि में से 13—1/3 हिस्सा पूर्वी तरफ से सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 को उनके कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

रोही मौजा चक 18 डीपीएन के प0न0 369/436(47) किला न0 21 ,22 प0न0 368/437 (514) के किला न0 4 ता 7 ख 14 ता 17 ,24 ,25 प0न0 367/437(52) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ,24 प0न0 369/438(73) के किला न0 1 ता 4 प0न0 368/438 (74) के किला न0 4 ,5 कुल 38 किता भूमि मामराज पुत्र लेखराम को पुख्ता आवंटित भूमि थी मामराज की मृत्यू के बाद उसके तीन वारिस भागमल , रामचन्द बिरबल पुत्र हुए उक्त भूमि किश्तों के अभाव में खारीज हो रही थी तो उतरदाता के पिता स्व किशनलाल ने उक्त भूमि के पेटे रूपये लेकर विक्रय करना तय करके रूपये लिये व राशि जमा करवायी गयी और 18 किला भूमि का [illegible] लेकर बेयनामा करवाकर कब्जा किशनलाल को सौप दिया गया [illegible] कर्जा बाकी था तो 8 किला भूमि का बेयनामा किशनलाल के पक्ष में करवाकर [illegible]वादी लेकर कब्जा सौप दिया बेयनामा दिनांक 26.05.1973 को तथा 8 किला का बेयनामा दिनांक 14.07.1973 को कराया गया चुकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बेयनामा तीनो भाईयो की सहमति से करवाया गया तीनो ने शपथ पत्र उप पंजीयक में पेश किये तीनो की उपस्थिति में ही तहरीर व तस्दीक किये गये जो पूर्व में बिरबल सहित तीनों भाईयो ने स्वीकार किया तत्पश्चात छोटरू ने स्वीकार किया फिर आगे खरीददारो ने स्वीकार किया और मुताबिक खरीद के सहमति से खाता विभाजन किया गया है अर्थात 1973 से आज तक गैरसायल /उतरादाता के बुजर्ग श्रीकिशनलाल को कराये गये बैयनामा स्वीकार किये है।

वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है क्योकि गैरसायल उतरदाता की खरीदशुद्ध 26 बीधा भूमि जो सन 1973 में खरीद की गयी थी व भागमल , रामचन्द , बीरबल ने बैयनामा करवाये जिनको आजतक कही किसी ने चैलेन्ज नही किया जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा खाता विभाजन सहमति से सभी काश्तकारों द्वारा सन 2004 में किया गया था जिसकी अपील भी 16 वर्ष मे नही की गयी है इसलिये प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

मामराज पुत्र लेखराज को आवंटित भूमि थी जिनकी मृत्यू के पश्चात मामराज के तीन वारिस भागमल , रामचन्द बिरबल हुए तीनों की कुवारे थे भूमि की किश्ते नही भरी जा रही थी तो गैरसायलान के पिता किशनलाल को 1973 में दो बैयनामों द्वारा कुल 26 बीधा भूमि का बेचान किया गया था बिरबल ने गांव नेठाराना के भूपसिह पुत्र खिराज को खोले लिया था भूपसिह ने छोटूराम को भूमि विक्रय कर रहा था तब विवाद हुआ था भूपसिह की केवल 12 बीधा ही भूमि है तो छोटूराम ने भूपसिह को 12 किला का बैयनामा करवाया गया था वरवक्त बैयनामा के अनुसार करा दिया जो खाला व लगान सन 2004 में सहमति से करा दिया जिससे सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 पाबन्द है

छोटूराम ने गैरसायलान के पिता को खरीदशुद्धा भूमि को स्वीकार करते हुए 4 बीधा भूमि का बैयनामा राजेन्द्रसिह व रामकुमार पि0 हेमराज को विक्रय कर बैयनामा करवा दिया तथा वरवक्त खाता विभाजन के राजेन्द्र रामकुमार की सहमति ली गयी थी किन्तु प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे फरीक नही बनाया गया है

वाद भूमि गैरसायलान की 26 किला खरीद शुद्धा भूमि थी जिसमें से 16 बिश्वा भूमि को छोटुराम द्वारा राजीनामा से गेर मुमकिन खाला व रास्ता दर्ज करवा दी तथा अपनी 12 बीधा में किसी प्रकार से गै0मु0खाता /रास्ता नही रख इसप्रकार 9–1/2 बिश्वा भूमि गैरसायलान के पास कम है जो जरीये काउन्टर क्लेम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के हिस्सा में से 9–1/2 भूमि कम की जाकर उतरादाता के नाम दर्ज की जावे।

सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने अपनी 8 किला भूमि पर केसीसी बनवायी गयी है और उन्होने खाता विभाजन को स्वीकार किया है तथा बेयनामा व खाता विभाजन के विरूद्व आजतक कोई कार्यवाही नही की है जब तक बैयनामा व खाता विभाजन की डिक्री कायम है तब तक अन्य कोई कार्यवाही सायल करने का अधिकारी नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सभी का खाता अलग अलग दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने एवं न्यायालय में चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया फरमाया जावे।

गैरसायलान संख्या 1 ता 11 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 डीपीएन की कुल 38 बीधा भूमि जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में विवरण दर्ज है का भूपसिह पुत्र विराज जाति जाट साकिन नेठराना 2/3 हिस्सा के भागमल व रामचन्द पि0 मामराज खातेदार काश्तकार थे भूपसिह पुत्र खिराज ने अपना 1/3 हिस्सा भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पिता व पति छोटूराम पुत्र गजनराम को जरिये बेयनामा दिनांक 03.01.1991 को बेचान कर दिया था खरीददार छोटूराम पुत्र गजनराम खरीद के समय से ही खातेदार काश्तकार हो गया था छोटूराम के फौत होने के पश्चात उसकी खरीदशुद्वा भूमि उसके वारिसान सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 खातेदार काश्तकार हो चुके है सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण 12 बीधा 13–1/3 रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खातेदार काश्तकार हो चुके है मगर छोटूराम पुत्र गजनराम ने अपनी उपरोक्त खरीदशुद्वा भूमि में से 4 बीधा यानि 1.012हैक्‍ भूमि रामकुमार व राजेन्द्रसिह पुत्र हेमराज को अपने जीवनकाल में फरोख्त कर दी जिसका सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 को कोई ऐतराज नही है मगर शेष बची भूमि छोटूराम पुत्र गजनराम की भूमि 8 बीधा 13–1/3 यानी 2.192हैक्‍ भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

छोटूराम के सहकाश्तकार भागमल रामचन्द पि0 मामराज 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा उन्होने अपना हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति किशनलाल पुत्र तुलछीराम को फरोख्त कर दिया था तथा गेरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति श्रीकिशनलाल के नाम से बेयानामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो गया इसप्रकार समस्त 38 बीधा भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन में छोटुराम 1/3 हिस्सा तथा उसके फोत होने पर 1/2 हिस्सा के खातेदार व हकदार सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 बहिब के खातेदार काश्तकार हुए तथा 2/3 हिस्सा के किशनलाल पुत्र तुलछीराम हकदार हुआ तथा उनके फोत होने पर 2/3 हिस्सा के हकदार व खातेदार उनके वारिसान गैरसायलान संख्या 1 ता 11 बहिब हकदार हुए ।

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन खाता विभाजन की आड में गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति किशनलाल [illegible] माल से साजिस कर सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पिता व [illegible] दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 3.0204हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में थी जिसमें सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता छोटूराम के द्वारा 4 बीधा भूमि रामकुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजेन्द्र पि0 हेमराज जाति जाट को बेय कर दी थी बाकी सायल के पिता छोटूराम के नाम 2.192हैक भूमि शेष की बजाय 2.024हैक दर्ज कर दी जबकि गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता व पति ने अपने नाम 25 बीधा 6–2/3 बीधा के बजाय 26 बीधा खाता विभाजन के बहाने कतई गलत दर्ज करवाली इस प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड में सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 का 13–1/3 विश्वा भूमि ज्यादा नियम विरूद्व दर्ज करवा ली तथा उक्त भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खाता विभाजन मे तहसीलदार या अन्य मातहत अधिकारी को कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नही था तथा ना ही किशनलाल व उसके वारिसान को उक्त सायल व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता छोटूराम की जरिये खरीदशुद्वा भूमि में नियमानुसार कोई टिनेन्ट आराजी नही होते वादग्रस्त भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता द्वारा जरिये रजिस्टर बेयनामा खरीद के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मौका पर सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के पति व पिता द्वारा अपनी खरीदशुद्वा भूमि 12 बीधा 13–1/3 हिस्सा भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन के पश्चात 4 बीधा यानी 1.012हैक भूमि राजेन्द्र व रामकुमार पि0 हेमराज को फरोख्त करने के पश्चात शेष 8 बीधा 13–1/3 बीधा यानि 2.192हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि के चारो तरफ सीव डोल बना रखी है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पिता की 25 बीधा 6–2/3 बिश्वा भूमि खरीदशुद्वा है तथा उतनी ही उनके कब्जा काश्त में है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में सायल व तरतबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 की 13–1/3 बीधा भूमि मिलाकर खाता तक्सीम के बहाने अपने नाम 26 बीधा दर्ज करवा रखी है जो सायल व तरतबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने नाम 13–1/3 हिस्सा भूमि जो सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पति व पिता की खरीदशुद्वा भूमि का भाग है जो गैरसायल संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है वादी तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 की खरीदशुद्वा भूमि 13–1/3 हिस्सा कतई गलत विधि विरूद्व तरीके से दर्ज है जिससे सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि 13–1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन करवाकर सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सायल अपना व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 को उसके 13–1/3 हिस्सा के कब्जा काश्त से बेदखल करने की गेरसायल संख्या 1 ता 11 योजना बना रहे है तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति में परिर्वतन करने की योजना बना रहे है गैरसायल संख्या 1 ता 11 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल प्रार्थीगण गैरसायल संख्या 1 ता 11 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है। सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 डीपीएन के प0न0 369/436(47) किला न0 21 ,22 प0न0 368/437 (514) के किला न0 4 ता 7 ख 14 ता 17 ,24 ,25 प0न0 367/437(52) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ,24 प0न0 369/438(73) के किला न0 1 ता 4 प0न0 368/438 (74) के किला न0 4 ,5 कुल 38 किता भूमि मामराज पुत्र लेखराम को पुख्ता आवंटित भूमि थी मामराज की मृत्यू के बाद उसके तीन वारिस भागमल , रामचन्द बिरबल पुत्र हुए उक्त भूमि किश्तों के अभाव में खारीज हो रही थी तो उतरदाता के पिता स्व किशनलाल ने उक्त भूमि के पेटे रूपये लेकर विक्रय करना तय करके रूपये लिये व राशि जमा करवायी गयी और 18 किला भूमि का प्रतिफल लेकर बेयनामा करवाकर कब्जा किशनलाल को सौप दिया गया था फिर भी इनपर भूमि बबात कर्जा बाकी था तो 8 किला भूमि का बेयनामा किशनलाल के पक्ष में करवाकर प्रतिवादी लेकर कब्जा सौप दिया बेयनामा दिनांक 26.05.1973 को तथा 8 किला का बेयनामा दिनांक 14.07.1973 को कराया गया चुकि बेयनामा तीनो भाईयो की सहमति से करवाया गया तीनो ने शपथ पत्र उप पंजीयक में पेश किये तीनो की उपस्थिति में ही तहरीर व तस्दीक किये गये जो पूर्व में बिरबल सहित तीनों भाईयो ने स्वीकार किया तत्पश्चात छोटरू ने स्वीकार किया फिर आगे खरीददारो ने स्वीकार किया और मुताबिक खरीद के सहमति से खाता विभाजन किया गया है अर्थात 1973 से आज तक गैरसायल /उतरादाता के बुजर्ग श्रीकिशनलाल को कराये गये बैयनामा स्वीकार किये है।

वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है क्योकि गैरसायल उतरदाता की खरीदशुद्व 26 बीधा भूमि जो सन 1973 में खरीद की गयी थी व भागमल , रामचन्द , बीरबल ने बैयनामा करवाये जिनको आजतक कही किसी ने चैलेन्ज नही किया जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा खाता विभाजन सहमति से सभी काश्तकारों द्वारा सन 2004 में किया गया था जिसकी अपील भी 16 वर्ष मे नही की गयी है इसलिये प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

मामराज पुत्र लेखराज को आवंटित भूमि थी जिनकी मृत्यू के पश्चात मामराज के तीन वारिस भागमल , रामचन्द बिरबल हुए तीनों की कुवारे थे भूमि की किश्ते नही भरी जा रही थी तो गैरसायलान के पिता किशनलाल को 1973 में दो बैयनामों द्वारा कुल 26 बीधा भूमि का बेचान किया गया था बिरबल ने गांव नेठाराना के भूपसिह पुत्र खिराज को खोले लिया था भूपसिह ने छोटूराम को भूमि विक्रय कर रहा था तब विवाद हुआ था भूपसिह की केवल 12 बीधा ही भूमि है तो छोटूराम ने भूपसिह को 12 किला का बैयनामा करवाया गया था वरवक्त बैयनामा के अनुसार करा दिया जो खाला व लगान सन 2004 में सहमति से करा दिया जिससे सायल व तरतीबी प्रतिवादी सख्या [illegible] पाबन्द है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

छोटूराम ने गैरसायलान के पिता [illegible] स्वीकार करते हुए 4 बीधा भूमि का बैयनामा राजेन्द्रसिह व रामकुमार पि0 हम[illegible] को विक्रय कर बैयनामा करवा दिया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा वरवक्त खाता विभाजन के राजेन्द्र रामकुमार की सहमति ली गयी थी किन्तु प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे फरीक नही बनाया गया है

वाद भूमि गैरसायलान की 26 किला खरीद शुद्वा भूमि थी जिसमें से 16 बिश्वा भूमि को छोटुराम द्वारा राजीनामा से गेर मुमकिन खाला व रास्ता दर्ज करवा दी तथा अपनी 12 बीधा में किसी प्रकार से गै0मु0खाता /रास्ता नही रख इसप्रकार 9–1/2 बिश्वा भूमि गैरसायलान के पास कम है जो जरीये काउन्टर क्लेम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के हिस्सा में से 9–1/2 भूमि कम की जाकर उतरादाता के नाम दर्ज की जावे।

सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 ने अपनी 8 किला भूमि पर केसीसी बनवायी गयी है और उन्होने खाता विभाजन को स्वीकार किया है तथा बेयनामा व खाता विभाजन के विरूद्व आजतक कोई कार्यवाही नही की गई है जब तक बैयनामा व खाता विभाजन की डिक्री कायम है तब तक अन्य कोई कार्यवाही सायल करने का अधिकारी नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सभी का खाता अलग अलग दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने एवं न्यायालय में चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान व उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र बैयनामा का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि के आधार पर किस प्रकार से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगी गैरसायल के नाम भूमि अधिक दर्ज है अथवा नही

हम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायल को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है।

सायल का कथन है कि गैरसायल सख्या 1 ता 11 के नाम भूमि बैयनामा से अधिक दर्ज है तथा गैरसायल का कथन है कि बैयनामा के अनुसार भूमि सही तौर से दर्ज है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार सायल के पूर्वजों ने वर्ष 1973 में गैरसायल के पूर्वज किशनलाल को बैयनामा करवाया गया था तथा खाता विभाजन आपसी सहमति से वर्ष 2004 में करवाया गया था उसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के द्वारा आज दिनांक तक बैयनामा या खाता विभाजन के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना पत्रावली में उपलब्ध नही है अर्थात उक्त बेयनामा व खाता विभाजन को सायल / सायल के पूर्वजों ने स्वीकार किया जाना प्रतीत होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में ना पाया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 11 के पक्ष मे पाया जाता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया गैरसायल संख्या 1 ता 11 के पक्ष में साबित हो चुका है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार गैरसायलान संख्या 1 ता 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनका अलग से खाता दर्ज है बिना किसी ठोस आधार के गैरसायलान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है मात्र सायल के कथनो के आधार पर गेरसायल का पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः सूविधा का संतुलन का बिन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में पाया जाता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों गैरसायलान के पक्ष में साबित हुए है गैरसायलान वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिनका खाता पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा गैरसायलान के पूर्वजों के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि के आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा बैयनामा व खाता तकसीम आज तक प्रभावी है जिसके विरूद्व किसी प्रकार की किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की गई है इसलिये मात्र सायल के कथनो के आधार पर गैरसायलान को पाबन्द करने से गैरसालय को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि गैरसायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त/खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:39 IST
Reason: SelfAttested